भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2759

17.03.2025 को उत्तर के लिए

मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड द्वारा पल्पवुड वृक्षारोपण

2759. श्री बी. वाई.राघवेन्द्र:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक राज्य सरकार की ओर से पट्टे पर दिए गए वन क्षेत्र में मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड द्वारा लगाए गए पल्पवुड वृक्षारोपण के प्रबंधन के लिए योजना के अनुमोदन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को प्रबंधन योजना को मंजूरी नहीं दिए जाने के कारण मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड को होने वाले राजस्व के नुकसान की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त प्रबंधन योजना को मंजूरी दी गई है और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसकी अस्वीकृति या इसमें देरी के विशिष्ट कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस मुद्दे को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं कि मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड द्वारा पट्टे पर दिए गए वनक्षेत्र में पल्पवुड वृक्षारोपण का प्रबंधन और उपयोग किया जा सके?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड द्वारा वर्ष 2022-23 से वर्ष 2028-29 की अवधि के लिए लगाए गए पल्पवुड बागानों के प्रबंधन के लिए एक प्रबंधन योजना कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा दिनांक 26.08.2024 के पत्र के माध्यम से पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय (दक्षिणी क्षेत्र) को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई थी।

प्रस्ताव प्राप्त होने पर, क्षेत्रीय कार्यालय (दक्षिणी क्षेत्र) ने दिनांक 5.11.2024 के पत्र के माध्यम से कर्नाटक राज्य सरकार से अनुरोध किया कि वह उक्त प्रबंधन योजना से पहले वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत पट्टे के नवीकरण के लिए केंद्र

सरकार से आवश्यक अनुमोदन ले। वन भूमि को गैर-वानिकी उद्देश्य के लिए बदलने/पट्टा देने के प्रस्ताव को परिवेश (प्रो एक्टिव ए रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरएक्टिव एंड वर्चुअस एनवायरनमेंटल सिंगल विंडो हब) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संसाधित किया जाता है। उक्त पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार से मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड (एमपीएम) भद्रावती को दी गई वन भूमि के पट्टे के पूर्वव्यापी नवीनीकरण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अब तक, मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड (एमपीएम) को परिवेश पोर्टल पर प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक है।

कर्नाटक राज्य सरकार ने भी सूचित किया है कि प्रबंधन योजना का अनुमोदन न मिलने के कारण बागानों की कटाई संभव नहीं है।

****